



**मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद**  
(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)  
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल

भोपाल, दिनांक: 21/12/2012

**:: आदेश ::**

11961

क्रमांक / /MGNREGS-MP/स्था0/NR-2/2012- म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बारहमासी ग्राम सड़क योजना) अंतर्गत मुख्यालय भोपाल में अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री के रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से किए जाने हेतु परिषद मुख्यालय में साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। साक्षात्कार समिति की अनुशंसा पर निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति पर चयनित किया जाता है:-


क्र.सं.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं धारित पद	वर्तमान पदस्थापना स्थान	मूल विभाग	जिस पद पर पदस्थ किया जा रहा है
1	श्री पी. एल. बारंगे, कार्यपालन यंत्री	Adm. Complex Maintance Dev. MPPM Co. Ltd. Jabalpur	म0प्र0 पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमि.	अधीक्षण यंत्री
2	श्री मनोज कुमार सक्सेना, सहायक यंत्री	DPIP, Bhopal Monitoring & Evaluation Coordinator	जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान भोपाल (WALMI)	कार्यपालन यंत्री
3	श्री प्रभात कुमार गुप्ता, सहायक यंत्री	MPPRDA, PIU-2, Raisen	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	कार्यपालन यंत्री
4	श्री मनोज कुमार शर्मा, सहायक यंत्री	MP MKVV, Co. Ltd. Govindpura, Bhopal	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.	कार्यपालन यंत्री
5	श्री यू.एस. सोनी, उपयंत्री	PMU-1 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, दिदिशा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सहायक यंत्री
6	श्री मंसूर अहमद सिद्दीकी, उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, सीहोर	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सहायक यंत्री
7	श्री अरुण कुमार कुरापा, सहायक यंत्री	दादा धुनी वाले खंडवा पावर लिमिटेड, खंडवा	म.प्र. पावर जनरेशन कम्पनी लिमि.	सहायक यंत्री
8	श्री रामचंद्र सिंह, उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सीधी जनपद देवसर	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सहायक यंत्री
9	श्री अजय कुमार गौर्य, उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग खंडवा	जल संसाधन विभाग	सहायक यंत्री

उक्त अभ्यर्थी को मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित दिनांक 10/1/13 तक परिषद मुख्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। समयावधि में पदभार ग्रहण नहीं करने की दशा में आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

उक्त प्रतिनियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जाती है:-

- 1 प्रतिनियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शर्त निर्देशानुसार लागू होंगी।

- 2 प्रतिनियुक्ति पर कार्य ग्रहण करने के पूर्व संबंधित को अपने मूल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3 प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 11/19/02/नियम/चार दिनांक 27 नवम्बर 2002 में दिए गए निर्देशानुसार वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे, जो पैतृक विभाग में प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
- 4 चयनित अभ्यर्थियों का मूल विभाग से विभागीय जांच, लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में जांच लंबित न रहने के संबंध में प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 चयनित अभ्यर्थियों का मूल विभाग में धारित पद के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 6 चयनित अभ्यर्थियों को मूल विभाग में अद्यतन वेतन पत्रक की प्रमाणिक प्रति उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगी।
- 7 चयनित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित प्रति उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगी।

  
 (डा. रवीन्द्र पस्तोर)


आयुक्त

ग0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद  
भोपाल दिनांक: 21/12/2012

पु.क्रमांक / 11962 / MGNRECS-MP/स्था0/NR-2/2012  
प्रतिलिपि:-

- 1 निज सचिव, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
- 2 निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
- 3 निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
- 4 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया संबंधित को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के संबंध में सहमति प्रदान करें तथा इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा दण्डात्मक कार्यवाही हो, तो जानकारी भी परिषद मुख्यालय को भिजवायें। संबंधित अधिकारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेने के उपरांत इनका मूल पद विभाग में स्थगित (Aabeyance) रखा जावे।
- 5 मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया संबंधित को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के संबंध में सहमति प्रदान करें तथा इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा दण्डात्मक कार्यवाही हो, तो जानकारी भी परिषद मुख्यालय को भिजवायें। संबंधित अधिकारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेने के उपरांत इनका मूल पद विभाग में स्थगित (Aabeyance) रखा जावे।
- 6 संचालक, वाल्मी, कलियासोत डेम के पास, कोलार रोड, भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया संबंधित को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के संबंध में सहमति प्रदान करें तथा इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा दण्डात्मक कार्यवाही हो, तो जानकारी भी परिषद मुख्यालय को भिजवायें। संबंधित अधिकारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेने के उपरांत इनका मूल पद विभाग में स्थगित (Aabeyance) रखा जावे।
- 7 प्रबंध संचालक, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया संबंधित को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के संबंध में सहमति प्रदान करें तथा इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा दण्डात्मक कार्यवाही हो, तो जानकारी भी परिषद

- मुख्यालय को भिजवायें। संबंधित अधिकारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेने के उपरांत इनका मूल पद विभाग में स्थगित (Aabeyance) रखा जावे।
- 8 प्रबंध संचालक, म.प्र. मध्य क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया संबंधित को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के संबंध में सहमति प्रदान करें तथा इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा दण्डात्मक कार्यवाही हो, तो जानकारी भी परिषद मुख्यालय को भिजवायें। संबंधित अधिकारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेने के उपरांत इनका मूल पद विभाग में स्थगित (Aabeyance) रखा जावे।
  - 9 प्रबंध संचालक, म.प्र. पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया संबंधित को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के संबंध में सहमति प्रदान करें तथा इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा दण्डात्मक कार्यवाही हो, तो जानकारी भी परिषद मुख्यालय को भिजवायें। संबंधित अधिकारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेने के उपरांत इनका मूल पद विभाग में स्थगित (Aabeyance) रखा जावे।
  - 10 राज्य समन्वयक, डी.पी.आई.पी., भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  - 11 महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पीआईयू-2, पटना कॉलेज, अर्जुन नगर, रायसेन म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  - 12 कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग विदिशा/सीहोर/सीधी/खण्डवा म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  - 13 प्रबंध संचालक, म.प्र. धुनी वाले खण्डवा पावर लिमिटेड, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  - 14 संबंधित श्री पी.एल. बारंगे, डी.जी.एम., एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, मेन्टेनेंस डेवलपमेंट, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
  - 15 संबंधित श्री मनोज कुमार सक्सेना, सहायक यंत्री, जी-1/44, गुलमोहर कॉलोनी, ई-8, शाहपुरा, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
  - 16 संबंधित श्री प्रभात कुमार गुप्ता, सहायक यंत्री, कार्यालय महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पीआईयू-2, पटना कॉलेज, अर्जुन नगर, रायसेन म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
  - 17 संबंधित श्री मनोज कुमार शर्मा, फ्लेट नंबर 101, यश ब्लॉक, फाइन रेसीडेंसी, ई-8/जी-3, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
  - 18 संबंधित श्री यू.एस. सोनी, प्लॉट नंबर-3, जी.एफ. शास्त्री अपार्टमेंट के पास, हर्षबर्धन नगर, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
  - 19 संबंधित श्री मंसूर अहमद सिद्दीकी, ट्यूलिप सुप्रीम-4, सनसिटी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
  - 20 संबंधित श्री अरुण कुमार कुरापा, 47, सर्वोदय कालोनी, खण्डवा म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
  - 21 संबंधित श्री रामचन्द्र सिंह, आर-44, बी-ब्लॉक कालोनी, देवसर, जिला सिंगरौली म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
  - 22 संबंधित श्री अजय कुमार मौर्य, एफ-01, एरिगेशन कालोनी, सिविल खण्डवा, जिला खण्डवा म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
आयुक्त

म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद